वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2020-21

Rajasthan State Power Finance and Financial Services Corporation Limited™

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020—21

राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनेन्स एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़, जयपुर

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान)—302015

E-mail:- rspfcl@rajasthan.gov. in

Tel.No.: +91141-2708611

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कॉरपोरेशन : एक परिचय	1
2.	संगठनात्मक ढाँचा	3
3.	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	4
4.	प्रमुख कार्य एवं प्रगति एवं विगत तीन वर्षों की तुलना	6
5.	वर्ष 2020–21 की पहल एवं उपलब्धियाँ	10
6.	सार– संक्षेप	11
7.	दूरभाष निर्देशिका	12

कॉरपोरेशनः एक परिचय

गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSPFCL) का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 की पालना में किया जाकर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में पंजीकृत कराया गया।

कॉरपोरेशन को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

पुनः मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित कॉरपोरेशन का नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Ltd.) किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसे वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं, को इस कॉरपोरेशन में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। इस जमा राशि पर उन्हें कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि के ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

पुनर्गठन उपरांत कम्पनी का नवीन नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुर्नगठित कम्पनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

उद्देश्य

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

- राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेशन को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
- राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की प्राप्ति हेतु बैंकों पर निर्भरता में कमी लाना।
- राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर, परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को cables, transformers, conductors, उपकरण एवं मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना।
- राज्य में स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना एवं इन्हें underwrite करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्ड्स, शेयर्स अथवा पूंजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना।
- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ Property Development and Management का कार्य करना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों, जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं के ईंधन के रूप में किया जाना है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य की विद्युत कम्पनियों को आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाने के लिये consultancy services उपलब्ध कराना।

संगठनात्मक ढाँचा

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका प्रशासनिक विभाग राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग इसके पदेन अध्यक्ष हैं तथा विशिष्ठ शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर प्रबंध निदेशक हैं।

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार हैः–

1.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	निदेशक
4.	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	निदेशक
5.	विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	निदेशक
6.	विशिष्ठ शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रबंध निदेशक
7.	आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग	निदेशक
8.	शासन सचिव, उद्योग विभाग	निदेशक
9.	प्रबंध निदेशक, रीको	निदेशक
10.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	निदेशक

स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

कॉरपोरेशन के पुनर्गठन उपरांत राज्य सरकार द्वारा 32 विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत 32 पदों में से 25 पद प्रतिनियुक्ति से, 6 पदों पर विशेष चयन से एवं 1 पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है। स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण (31.12.2020 की स्थिति) निम्नानुसार है–

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्तियाँ
1.	कार्यकारी निदेशक	01	00	01
2.	महाप्रबंधक (वित्त)	01	01	–
3.	महाप्रबंधक (सिस्टम)*	01	01	–
4.	महाप्रबंधक (HR/Adm/Vig.)	01	00	01
5.	महाप्रबंधक (क्रेडिट एवं निवेश)	01	00	01
6.	महाप्रबंधक (फंड़ मोबिलाइजेशन और बैंकिग)	01	00	01
7.	अतिरिक्त महाप्रबंधक (बैंकिग)	01	00	01
8.	सहायक महाप्रबंधक (Adm/HR)	01	01	–
9.	सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	01	01	–
10.	कंपनी सचिव **	01	00	01
11.	प्रबंधक (बजट एवं उपापन)	01	01	–
12.	प्रबंधक (लेखा एवं ऑडिट)	01	00	01
13.	प्रबंधक (लेखा)	01	01	–
14.	प्रबंधक (फंड मोबिलाईजेशन और पुनर्भुगतान	01	00	01
15.	प्रंबधक / उपप्रबंधक(NBFC विनियामक एवं अनुपालना)	01	00	01

16.	प्रबंधक (ऋण एवं वसूली)	01	00	01
17.	सहायक प्रबंधक (विधि)	01	00	01
18.	सहायक प्रबंधक (बिल)	01	00	01
19.	सहायक प्रबंधक (आशुलिपिक)	02	00	02
20.	एग्जीक्यूटिव (HR/Adm)	01	00	01
21.	एग्जीक्यूटिव (IT)	02	00	02
22.	सहायक एग्जीक्यूटिव (बिल एवं नगद)	01	00	01
23.	सहायक एग्जीक्यूटिव (ड्राईवर)	02	00	02
24.	सहायक	06	00	06
	कुल	**32**	**6**	**26**

*महाप्रबंधक (सिस्टम) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत हैं।

**कम्पनी सचिव की सेवाएँ कम्पनी सचिव फर्म से संविदा आधार पर प्राप्त की जा रही हैं।

अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति हेतु आउटसोर्सिंग/प्लेसमेंट ऐजेन्सी की सेवाएं ली जाती हैं।

प्रमुख कार्य, प्रगति एंव विगत तीन वर्षों की तुलना

कॉरपोरेशन द्वारा अब तक निम्न नीतियाँ तैयार की गई हैं;

- **डिपोजिट नीति (Deposit Policy)**
  राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों से डिपोजिट प्राप्त करने के लिये डिपोजिट नीति (Deposit Policy) तैयार की गई तथा इसका निदेशक मण्डल ने दिनांक 14 अगस्त 2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया।

- **ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy)**
  कम्पनी द्वारा विभिन्न राजकीय उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋणों तथा उनसे प्राप्त होने वाले डिपोजिट्स पर ब्याज का निर्धारण करने के लिये ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy) तैयार की गई जिसका निदेशक मण्डल ने दिनांक 14 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया।

- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy)**
  कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2017 को आयोजित 18वीं बैठक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy) का अनुमोदन किया।

- **निवेश नीति (Investment Policy)**
  कॉरपोरेशन के निवेश संबंधी कार्यों के प्रबंधन हेतु कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को आयोजित 19वीं बैठक में निवेश नीति (Investment Policy) का अनुमोदन किया गया।

- **ऋण नीति (Credit Policy)**
  राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये निदेशक मण्डल ने दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को आयोजित 15वीं बैठक में ऋण नीति (Credit Policy) का अनुमोदन किया।

उक्त नीतियों के अतिरिक्त कॉरपोरेशन में निम्नांकित समितियों का गठन किया गया–

- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (Corporate Social Responsibility Committee)**

  कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन 31 मार्च, 2017 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में किया।

  कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा अपने वार्षिक लाभ में से सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में खर्च करने योग्य अंश जो वर्ष 2015–16 से ही वर्ष दर वर्ष संचित होकर 48.64 लाख हो गया था, में से इस वर्ष के दौरान 47.56 लाख की राशि राजस्थान के विभिन्न जिलों में अवस्थित कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर (गीजर) उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। वाटर हीटर की खरीद और संस्थापना का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को नोडल एजेंसी बना कर सौंपा गया है और इस कार्य के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दिनांक 25.11.2020 को 47.52 लाख की राशि हस्तांतरित की गयी।

- **वित्त समिति (Finance Committee)**

  वित्त समिति का गठन 02 फरवरी, 2017 को किया गया। वर्ष के दौरान कंपनी की वित्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गयीं।

  प्रथम बैठक में राजस्थान वित्त निगम के ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन कर कम्पनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार RFC को कार्यशील पूँजी के लिए ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की गयी और कम्पनी द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को RFC को 30 करोड़ का ऋण संवितरित किया।

  द्वितीय बैठक में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के कार्यशील पूँजी के लिए ऋण के प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

- **लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee)**

  ऑडिट समिति की वर्ष के दौरान एक बैठक आयोजित हुई जिसमें कंपनी के आतंरिक अंकेक्षक एवं सचिवीय अंकेक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट एवं उन पर प्रबंधन के लिखित उत्तर का अवलोकन किया गया। साथ ही कंपनी के अंतिम खातों का निदेशक मंडल में रखे जाने पूर्व एवं कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया।

- **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee)**

  नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निदेशक मण्डल की दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में किया।

- **निदेशक मण्डल (Board of Directors)**

  वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर माह तक निदेशक मण्डल की 3 बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें किये गए व्यवसाय के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:–

  - कंपनी के वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान स्वीकृत किए गए।
  - सामाजिक उत्तरदायित्व मद पर खर्च करने के सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
  - कम्पनी द्वारा राजस्थान वित्त निगम को स्वीकृत ऋण का संज्ञान लिया गया।
  - कम्पनी के वर्ष 2019–20 के अंतिम खातों को स्वीकृति दी गयी।
  - अंकेक्षकों द्वारा जारी किये गए ऑडिट आक्षेपों पर प्रबन्धन के आक्षेपवार लिखित उत्तर को स्वीकृति प्रदान की गयी।
  - कम्पनी के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का नवीन प्रत्यायोजन किया गया।

बजट 2020–21

(रू. लाखों में)

प्राप्तियाँ		बजट प्रावधान (2020–21)	प्राप्तियाँ (31.12.2020 तक)
I.	**राजस्व**		
1	ऋणों से ब्याज की प्राप्तियाँ	3717	54.63
2	निवेश से प्राप्त ब्याज	200	277.11
	योग I	**3917**	**331.74**
II.	**पूँजी**		
1	राजकीय अंश	0.00	0.00
2	बॉण्ड उत्थापन	60000	0.00
3	डिपोजिट(राजकीय संस्थानों से)	5000	0.00
योग II		**65000**	0.00
कुल योग I+II		**68917**	331.74
व्यय		बजट प्रावधान (2020–21)	व्यय (31.12.2020 तक)
I.	**राजस्व**		
1	प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	276.49	136.23
2	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	3763	0.00
3	बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय	0.10	0.00
4	अनुसंधान एवं विकास व्यय	1.00	0.00
5	सी.एस.आर में व्यय	48.64	47.56
योग I		**4089.23**	**183.79**
II.	**पूँजी**		
1	फर्नीचर	2.00	0.34
2	कार्यालय उपकरण	3.00	0.45
3	ऋण	75000	0.00
योग II		**75005**	0.79
कुल योग I+II		**79094.23**	184.58

31.12.2020 तक के आँकड़े उपार्जित पद्धति पर दर्शाये गये हैं।

कॉरपोरेशन के प्रमुख कार्यों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धन राशि से राज्य के अन्य उपक्रमों को प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है।

इस संबध में पिछले **तीन वर्षों की प्रगति का विवरण** निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रू में)

क.स.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
		ऋण वितरण	ऋण वितरण
1	2018-19	10000.00	–
2	2019-20	4000.00	–
3	2020-21	75000.00	3000.00*

* वर्ष 2020–21 के दौरान 31.12.2020 तक की उपलब्धि।

वर्ष 2020–21 की विशेष उपलब्धियां

ऋणों का विवरण

1. राजस्थान वित्त निगम (RFC) को 30 करोड़ रू. का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 को संवितरित किया गया।
2. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (RVPN) को 25 करोड़ रू का ऋण दिये जाने की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त संवितरण पूर्व आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रक्रियाधीन है।

सार– संक्षेप

1. वर्ष 2012 में कॉरपोरेशन का गठन राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राजकीय कम्पनी के रूप में किया गया।

2. तत्पश्चात्, वर्ष 2015 में कम्पनी का पुनर्गठन कर इसमें वित्तीय सेवाओं से संबधित उद्देश्य जोड़े गये। राज्य के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि को RSPF&FSCL में जमा कराने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अशंपूँजी एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि से राज्य के अन्य राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना इस निगम का उद्देश्य है।

3. उपर्युक्त कार्यों को प्रभावी तरीके से करने की दृष्टि से सभी आवश्यक नीतियाँ तैयार कर एवं समितियों का गठन कर निदेशक मण्डल से उनका अनुमोदन करवाया गया।

4. वर्ष 2020–21 में राजस्थान वित्त निगम (RFC) को 30 करोड़ रू की राशि का लघु अवधि ऋण सक्षम स्वीकृति उपरान्त दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 को वितरित किया गया।

5. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (RVPN) को 25 करोड़ रू का ऋण दिये जाने का प्रकरण सक्षम स्वीकृति के उपरान्त आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रक्रियाधीन है।

दूरभाष निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	अखिल अरोरा आईएएस	अध्यक्ष, RSPF&FSCL एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त)	0141-2227664
2.	राजन विशाल आईएएस	प्रबंध निदेशक, RSPF&FSCL एवं विशिष्ठ शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय	0141-2227599
3.	मनीष शुक्ला	महाप्रबंधक (वित्त)	0141-2708611
4.	अकुल भार्गव	महाप्रबंधक (सिस्टम्स)	0141-2227094
5.	पंकज जांगिड	सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)	0141-2708611
6.	आशीष शर्मा	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611
7.	टीकम चन्द शर्मा	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611
8.	गिरीश कुमार चेलानी	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611
9.	आर.आर पोद्दार	मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)	0141-2708611
10.	एस.सी.सोनी	मुख्य सलाहकार (प्रशासन)	0141-2708611
11.	कृति जोशी	कम्पनी सचिव	0141-2708611

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय:

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

CIN : U65923 RJ 2012 SGC 041087

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

दूरभाष: 91-141-2708611, ईमेल: rspfcl@rajasthan.gov.in

Visit us at: rspfcl.rajasthan.gov.in